

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 03, सोमवार, शके 1947- अगस्त 25, 2025 <i>Bhadra 03, Monday, Saka 1947- August 25, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 11, 2025

संख्या:27/भू.अ./ज.स./2025/1251-1255:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में अवाप्ति से शेष रही भूमि को छठे चरण में अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, कोटा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रामगंजमण्डी होंगे।

--:विवरण:-

तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में अवाप्ति से शेष रही भूमि को छठे चरण में अवाप्त किए जाने हेतु ग्राम रूपपुरा, नूरपुरा, जोधपुरा, रायखेड़ा, सोहनपुरा, सारनखेड़ी, रघुनाथपुरा तहसील-चचेट व देवीपुरा, तमोलिया, दडिया, भीमपुरा, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला कोटा की भूमि अवाप्ति की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत।

प्रस्तावित जिला- कोटा

क्र. स.	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी का नाम
1	तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के	रूपपुरा, नूरपुरा, जोधपुरा, सोहनपुरा, सारनखेड़ी, रघुनाथपुरा	मदनपुरा	चेचट	कोटा	भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड

अन्तर्गत डूब क्षेत्र में अवाप्ति से शेष रही भूमि को छठे चरण में अवाप्ति किए जाने हेतु	रायखेड़ा	हात्वाखेडी	चचेट	अधिकारी रामगंजमण्डी
	देवीपुरा, तमोलिया, दडिया,	रीछडियां	रामगंजमण्डी	
	भीमपुरा	गोयन्दा	रामगंजमण्डी	

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

क्र.स.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा
(क)	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में अवाप्ति से शेष रही भूमि को छठे चरण में अवाप्ति किया जाना है, जिसमें कुल 132.57 हैक्टेयर (निजी 78.257 है0, सरकारी 84.32 है0) भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। जिसमें ग्राम रूपपुरा, नूरपुरा, जोधपुरा, रायखेड़ा, सोहनपुरा, सारनखेडी, रघुनाथपुरा तहसील-चचेट व देवीपुरा, तमोलिया, दडिया, भीमपुरा, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारण प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से	हाँ

	कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	
(ढ)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा

मुकेश कुमार गुप्ता
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।